अनुशासनिक कार्रवाई का इतिहास एवं संवैधानिक पृष्टभूमि

अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary Action) से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाये गये लांछन/आरोप के विषय में विहित कार्रवाई की प्रक्रिया। अनुशासनिक कार्यवाही (Departmental Proceeding) वस्तुतः अनुशासनिक कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया के बीच का एक अंश (Intermediate part) है। अनुशासनिक कार्यवाही एक माध्यम है जिसके द्वारा सरकारी सेवक को अपने बचाव हेतु जाँच पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों का उत्तर देना अनिवार्य एवं अपरिहार्य होता है।

सरकारी सेवा में अनुशासन (Discipline) एवं कार्यकुशलता (Efficiency) की अहम भूमिका है। सरल शब्दों में एक सुव्यवस्थित आचरण एवं व्यवहार को अनुशासन कहा जाता है तो दूसरी तरफ अव्यवस्थित आचरण एवं व्यवहार को कदाचार (Misconduct) कहा जाता है।

बिहार सरकार द्वारा अपनी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के आचरण एवं व्यवहार के संबंध में एक नियमावली– बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976– प्रवृत्त किया गया है जिसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना कदाचार है। सरकारी सेवकों के किसी कदाचार के लिए उन्हें विहित प्रक्रियानुसार दण्डित करने का प्रावधान किया गया है जिससे कि अनुशासन कायम रखा जा सके, भविष्य में कदाचार या दुराचार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके तथा अन्य सरकारी सेवक इस प्रकार के दुराचरण अथवा कदाचार के प्रति निरूत्साहित हों। सरकारी सेवकों के कदाचार की जाँच करने तथा प्रमाणित आरोपों के लिए दण्डित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा एक अलग नियमावली– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005– प्रवृत्त है।

संक्षिप्त इतिहास

उल्लेखनीय है कि देश एवं राज्य के प्रभावी एवं कुशल प्रशासन के निमित्त सिविल सेवा का उद्‌भव हुआ। वस्तुतः इस सेवा की अनिवार्यता एवं उपादेयता पर ब्रिटिश शासन काल में विशेष बल दिया गया। ब्रिटिश शासकों द्वारा 19वीं शताब्दी में तत्समय इंग्लैंड में प्रचलित प्रणाली के तर्ज पर भारत में सिविल सेवाओं का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का प्रभार ईस्ट इंडिया कम्पनी से ग्रहण करने के उपरान्त **भारत का शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)** अधिनियमित किया गया। इस प्रकार सिविल सेवा विषयक अवधारणा का सूत्रपात भी उसी वर्ष में हुआ जिसके तहत ईस्ट इंडिया कम्पनी में कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त्त एवं तत्संबंधी नियमों की रूपरेखा तैयार कर नियमावली निर्मित की गयी। इस

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार भारत का शासन अधिनियम, 1858 द्वारा कुशल सिविल प्रशासन का शिलान्यास किया गया। इसके बाद भारत का शासन अधिनियम, 1915 में उक्त प्रणाली के वास्तविक संचालन के अनुभव के आलोक में वृहत परिवर्तन किये गये। इस अधिनियम ने सम्राट (Crown) की सेवा के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि से संबद्ध नियमावली के निर्माण हेतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौंसिल को अधिकृत किया। सिविल विधान की धारा–98वी के तहत भारत का शासन अधिनियम, 1919 ने स्थापित कर दिया कि सम्राट के अधीन कार्यरत भारतीय सिविल सेवा के किसी व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौंसिल के अलावा अन्य कोई अधिनस्थ अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकेगा। इस तरह धारा–196बी(2) के द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं के विनियमन एवं वर्गीकरण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त भारत में नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति के सिद्धान्त, सेवा शर्त्तें, वेतन भत्ते आदि के निर्धारण के लिए उक्त प्राधिकार को सर्वशक्तिमान बनाया गया। अतएव इस दौर में स्वामी–सेवक संबंध (Relationship between the Government and its servants) की झलक देखने को मिलती है। इसके पश्चात् भारत का शासन अधिनियम, 1935 में प्रथम बार शासन की संघीय प्रणाली (Federal System) की शुरूआत की जिसके तहत प्रान्तों (सम्प्रति राज्यों) में स्वायत्त प्रशासन की अवधारणा का सूत्रपात तथा क्रियान्वयन हुआ। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा–240 में सर्वप्रथम नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त (Principal of Natural Justice) को स्वीकार किया गया जिसके द्वारा सिविल सेवकों को यह सुरक्षा प्रदान की गयी कि वे तबतक सेवा से बर्खास्त या पदावनत नहीं किये जायेंगे, जब तक उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सुनवाई के लिए युक्ति–युक्त अवसर (Reasonable Opportunity) नहीं प्रदान किया जाय।

संवैधानिक पृष्टभूमि

भारत के संविधान में लोक सेवकों (Public Servants) के कल्याण एवं उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए कतिपय प्रावधान किये गये हैं जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है–

166. Conduct of business of the Government of a State-

(1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor

(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order on instruction which is so authenticated shall not be called in question on the

Scanned with OKEN Scanner

ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor

(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

व्याख्या– इस प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार/कार्यपालिका का प्रत्येक निर्णय/की प्रत्येक कार्रवाई महामहिम राज्यपाल के नाम पर लिया जाता/की जाती है मानो ऐसा निर्णय/ऐसी कार्रवाई महामहिम राज्यपाल द्वारा ही वास्तव में लिया गया/की गयी हो। राज्यपाल द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमावली में निहित प्रत्यायोजित शक्तियों की व्यवस्था के अधीन लिये गये किसी निर्णय अथवा निष्पादित किसी लिखत (Instruments) की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा कि यह राज्यपाल द्वारा लिया गया कोई निर्णय अथवा निष्पादित कोई लिखत नहीं है। उक्त प्रावधान के आलोक में ही कार्यपालिका की कार्य प्रक्रिया के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 166(3) के प्रावधान के तहत **बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979** अधिसूचित है।

309. Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State -Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State: Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.

Scanned with OKEN Scanner

व्याख्या– इसके अन्तर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा में नियुक्ति और सेवा शर्त्तों को समुचित विधायिका (संसद अथवा संबंधित राज्य का विधानमंडल) से पारित अधिनियम द्वारा विनियंत्रित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि सरकारी सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के निर्धारण की कार्यपालिका की शक्ति पर विधायिका का नियंत्रण हो। साथ ही जब तक संबंधित विधायिका के समुचित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त्तें के विनियंत्रण हेतु नियमावली बनाने में सक्षम होगा। साथ ही ऐसी नियमावली तब तक प्रभावी होगी जब तक कि इस विषय पर सक्षम विधायिका द्वारा पारित कोई अधिनियम प्रवृत्त न हो जाय तथा ऐसी नियमावली में वही शक्ति निहित होगी जो सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम में होती।

310. Tenure of office of persons serving the Union or a State-

(1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union, holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor of the State

(2) Notwithstanding that a person holding a civil post under the Union or a State holds office during the pleasure of the President or, as the case may be, of the Governor of the State, any contract under which a person, not being a member of a defence service or of an all India service or of a civil service of the Union or a State, is appointed under this Constitution to hold such a post may, if the President or the Governor as the case may be, deems it necessary in order to secure the services of a person having special qualifications, provide for the

Scanned with OKEN Scanner

payment to him of compensation, if before the expiration of an agreed period, that post is abolished or he is, for reasons not connected with any misconduct on his part, required to vacate that post.

व्याख्या– इसके अन्तर्गत पहले खण्ड में यह उपबंधित है कि संघ या राज्य सरकार के अधीन सभी सिविल पद क्रमशः महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त (Doctrine of Pleasure) धारित किये जायेंगे अर्थात् उनकी सेवा महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल की मर्जी एवं इच्छा पर निर्भर करेगी। दूसरे खण्ड में मूलतः संविदात्मक सेवाओं का उपबंध किया गया है जिन्हें या तो संविदा की समाप्ति पर समाप्त किया जा सकता है या भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छानुसार प्रतिकर (Compensation) प्रदान किया जा सकता है।

उक्त प्रावधान को अगर अनुच्छेद 166 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाय, तो ये प्रावधान सरकारी सेवकों के गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रावधान प्रतीत होते हैं। परन्तु अनुच्छेद 310 के प्रावधान पर अनुच्छेद 311 के प्रावधान द्वारा कतिपय प्रतिबंध लगाये गये हैं। इसी कारण से संविधान विशेषज्ञों द्वारा अनुच्छेद 311 को अनुच्छेद 310 का परन्तुक (Proviso) भी कहा जाता है।

311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State-

(1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by a authority subordinate to that by which he was appointed

(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges Provided that where it is proposed after such inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed: Provided further that this clause shall not apply

Scanned with OKEN Scanner

(a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(b) where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank ins satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or

(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold such inquiry

(3) If, in respect of any such person as aforesaid, a question arises whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as is referred to in clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final.

व्याख्या– इसके अन्तर्गत पहले खण्ड में यह उपबंधित है कि सरकारी सेवकों को उसके नियुक्ति प्राधिकार से अधीनस्थ किसी प्राधिकार द्वारा सेवा से बर्खास्त अथवा पदच्यूत नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः यह प्रावधान सरकारी सेवकों को अवैध रूप से हटाये जाने या बर्खास्त किये जाने से सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करता है।

दूसरे खण्ड में यह उपबंधित है कि सरकारी सेवकों को बर्खास्त करने, पदच्यूत करने अथवा पदावनत करने के पूर्व एक जाँच (जिसे तकनीकी भाषा में अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में जाना जाता है) किया जाना आवश्यक होगा जिसमें संबंधित सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध लगाये गये आरापों की जानकारी दी जानी होगी तथा उन आरोपों के संदर्भ में अपना बचाव करने हेतु उसे पर्याप्त या युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया जाना होगा। अगर ऐसी किसी जाँच के आधार पर किसी सरकारी सेवक को ऐसा कोई दंड दिया जाना प्रस्तावित हो, तो यह पूर्णतः जाँच में पाये गये निष्कर्षों पर ही आधारित होगा अर्थात् किसी दुराशय, दुर्भावना, व्यक्तिगत विद्वेष आदि से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही ऐसे किसी प्रस्तावित दंड पर आरोपित सरकारी सेवक को कोई अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

निम्नांकित तीन दशाओं में उपर्युक्त विधि से जाँच किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी–

(i) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर बर्खास्त या पदच्यूत या पदावनत किया जाता है जिस आचरण से संबंधित आपराधिक आरोप के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया (conviction) जा चुका हो।

(ii) जहाँ उक्त दंड देने हेतु सक्षम प्राधिकार, अर्थात् नियुक्ति प्राधिकार अथवा उससे ऊपर का कोई प्राधिकार, को यह समाधान हो जाये कि लिखित रूप से अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से, विचाराधीन मामले में, विहित प्रक्रिया के अनुरूप जाँच किया जाना सम्भव नहीं है।

(iii) जहाँ यथास्थिति महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल को यह समाधान हो जाये कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में विचाराधीन मामले में विहित प्रक्रिया के अनुरूप जाँच किया जाना उचित नहीं होगा।

नोटः– (i) उपर्युक्त तीन अपवादों को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–20 में हू–ब–हू प्रावधानित किया गया है।

(ii) स्पष्टतः अनुच्छेद 311 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है।

(iii) आरोपित सरकारी सेवक को अपनी प्रतिरक्षा/बचाव के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना वांछनीय है। यही नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है। यह जरूरी नहीं है कि वह इसकी मांग करे बल्कि यह अवसर प्रदान करने की जिम्मवारी जाँच प्राधिकारी की है। वस्तुतः यह सेवक को दी गयी वैधानिक सुरक्षा है और वैधानिक बाध्यता इस परिप्रेक्ष्य में राज्यतंत्र पर डाला गया है। इस बाध्यता का निर्वहन करना राज्य का उत्तरदायित्व है। नैर्सगिक न्याय के सिद्धान्तों को दृढ़तापूर्वक लागू करने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) व्यक्तिशः सुनवाई (Personal hearing) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का आवश्यक भाग नहीं है। अतः एक अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

(v) बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराया जाना दंड नहीं है, अतः इसमें अनुच्छेद 311 के प्रावधान प्रभावी नहीं होते हैं। अतः बिहार सेवा संहिता के नियम– 74 के प्रावधान के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराये जाने हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार जाँच/विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती।

320. Functions of Public Service Commissions-

(1) It shall be the duty of the Union and the State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of the Union and the services of the State respectively.

(2) It shall also be the duty of the Union Public Service Commission, if requested by any two or more State so to do, to assist those States in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required.

(3) The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted-

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;

(c) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters;

(d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Government of India or the Government of a State or under the

Scanned with OKEN Scanner

Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, that any costs incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty should be paid out of the Consolidated Fund of India, or, as the case may be, out of the Consolidated Fund of the State;

(e) on any claim for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award,

and it shall be the duty of a Public Service Commission to advice on any matter so referred to them and on any other matter which the President, or, as the case may be, the Governor, of the State, may refer to them:

Provided that the President as respects the all India services and also as respects other services and posts in connection with the affairs of the Union, and the Governor, as respects other services and posts in connection with the affairs of a State, may make regulations specifying the matters in which either generally, or in any particular class of case or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted

(4) Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of Article 16 may be made or as respects the manner in which effect maybe given to the provisions of Article 335

(5) All regulations made under the proviso to clause (3) by the President or the Governor of a State shall be laid for not less than fourteen days before each House of Parliament or the House or each House of the Legislature of the State, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal or amendment, as both Houses of

Scanned with OKEN Scanner

Parliament or the House or both Houses of the Legislature of the State may make during the session in which they are so laid.

व्याख्या– उक्त प्रावधान के आलोक में ही ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा से की गयी हो, के विरुद्ध वृहद् दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोग से परामर्श प्राप्त किये जाने के प्रावधान एवं प्रक्रिया का निर्धारण समय–समय पर बिहार लोक सेवा आयोग कार्य परिसीमन विनियमावली के विनियमों (विनियम–11 एवं 12) में किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के गठन की पृष्टभूमि

राज्य सरकार के वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के सेवकों के संदर्भ में असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 (**भारत का शासन अधिनियम, 1919** से प्राप्त शक्ति द्वारा प्रवृत्त) और वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के सेवकों के संदर्भ में बिहार एवं उड़िसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 (**भारत का शासन अधिनियम, 1935** से प्राप्त शक्ति द्वारा प्रवृत्त) का अंगीकरण अधिसूचना संख्या– 3/आर॰–101/63–8051–ए॰ दिनांक– 03.07.1963 द्वारा किया गया था। उक्त दोनों नियमावलियों के प्रावधानों के अनुरूप ही अनुशासनिक कार्रवाई होती आ रही थी। परन्तु उनके कतिपय प्रावधान अप्रासंगिक हो गये थे। माननीय उच्च न्यायायलय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1169/1998 में दिनांक–05.07.2000 को पारित आदेश में निदेश दिया गया कि 1930 एवं 1935 की नियमावलियों के कतिपय प्रावधानों के अप्रासंगिक हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार सभी वर्ग के कर्मियों के लिए एक समेकित नियमावली का निर्माण करे। इस निदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 को अधिसूचना संख्या–1112 दिनांक–12.07.2005 (गजट संख्या–348 दिनांक–13.07.2005) द्वारा अधिसूचित किया गया। यह नियमावली भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बनायी गयी है तथा 13 जुलाई, 2005 से प्रभावी है। इस नियमावली में अबतक तीन संशोधन किये गये हैं जो निम्नवत् है–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 (अधिसूचना सं॰ 3/एम॰ 166/2006का0–2797 दिनांक–20.08.2007)

(ii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008
(अधिसूचना सं॰ 3/एम॰ 166/2006का0–4033 दिनांक–24.06.2008)

Scanned with OKEN Scanner

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

(अधिसूचना सं० 3/एम० 64/2008का0–666 दिनांक–10.02.2010)

(iv) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025

(विभागीय वेबसाईट (www.gad.bih.nic.in) पर अपलोड है।)

इनके अतिरिक्त नियमावली के नियम–31 से प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011 को अधिसूचना संख्या–3/एम0–114/2010–322 दिनांक– 31.01.2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था। सम्प्रति उक्त विनियमावली को निरसित करते हुए **बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017** को अधिसूचना संख्या– 15983 दिनांक– 14.12.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसमें सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन हेतु प्रारूप के साथ–साथ आरोप पत्र के गठन में सुविधा हेतु एक काल्पनिक आरोप–पत्र भी परिचारित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner